न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2001/00011
मिसल नम्बर–53 / 2001

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1.धन्ना ओंकार पुत्र नोन्दा जाति लश्करी चमार निवासी खेडली पुरोहित कोटा
2.मोडया पुत्र कालू जाति माली निवासी खेडली पुरोहित कोटा
3.गोरधन पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी खेडली पुरोहित कोटा

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 28/7/25

उपस्थित–
1.सरकार पेरोकार।

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि तहसीलदार लाडपुरा राज्य सरकार की ओर से भूमि धारक है तथा निवेदन किया गया है कि ग्राम खेडली पुरोहित में साबिक खसरा नम्बर 14 की 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि भू प्रंबध से पूर्व स्थित थी। भू प्रंबध द्वारा उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 14, 15 व 69 बनाये गये है।

यह कि प्रतिवादी नम्बर 01 धन्ना द्वारा उक्त आराजी का बैचान प्रतिवादी नम्बर 02 व 03 को कर दिया गया। प्रतिवादी नम्बर 02 व 03 स्वर्ण जाति के सदस्य है जबकि प्रतिवादी नम्बर 01 की जाति लश्करी चमार है जो अनुसूचित जाति के अन्दर आती है इस बैचान में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 175 का पूर्ण उल्लघंन हुआ है। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त आराजी को प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम से खारिज कर प्रतिवादी नम्बर 02 व 03 के खाते दर्ज कर दिया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त आराजी अवैध रूप से हस्तान्तरण होने के परिणाम स्वरूप उक्त आराजी को प्रतिवादी नम्बर 02 व 03 के खाते से खारिज कर उन्हे बेदखल कर भूमि को सिवायचक करने के आदेश किये जावें।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये है :–

उपखण्ड अधिकारी
को.

1. मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057
2. जमाबन्दी भू प्रंबध से पूर्व (संवत् स्पष्ट नहीं)
3. जमाबन्दी 2038 से 2057

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा बेटर पर्टिकुलर्स जान बुझकर पेश नही किये गये है। भूमि को ग्राम खेडल पुरोहित में दिखाया गया है जो कि गलत है। साथ ही प्रतिवादियों द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा इस बाबत् कोई पंजीकृत दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उक्त परिस्थितियों में कोई भी कार्यवाही संभव नही है।

बहस प्रतिवादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 01 की जाति लश्करी चमार अंकित हो। प्रतिवादीगण 02 व 03 का यह भी कथन है कि प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भू प्रंबध से पूर्व की जो जमाबंदी प्रस्तुत की गई है उसमें भी जाति लश्करी ही अंकित है जो सामान्य वर्ग में आती है। इस आधार पर प्रतिवादीगण 02 व 03 का कथन है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पूर्णतया गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों आद्योपान्त अध्ययन किया तथा प्रतिवादीगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

पत्रावली में संलग्न भू प्रंबध से पूर्व की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम अर्जुनपुरा का खाता नम्बर 51 निम्नानुसार दर्ज था :–

धन्नालाल ओंकार पिसरान नोन्दा हिस्सा 2/3 में बराबर नाथूलाल वल्द मान्या व
मु0 ग्यारसीबाई बैवा मान्या हिस्सा 1/3 बराबर जाति लश्करी साकिन सोगरिया

उक्त प्रविष्टि के अध्ययन से यह प्रमाणित हो जाता है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बेहद लापरवाहीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है भूमि ग्राम खेडली पुरोहित की बताई गई है जबकि जमाबंदी व रिकॉर्ड ग्राम अर्जुनपुरा का प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 01 को ग्राम खेडली पुरोहित का निवासी बताया गया है जबकि जमाबंदी में साकिन सोगरिया अंकित है इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 01 की जाति लश्करी चमार बताई गई है जबकि जमाबंदी में जाति लश्करी अंकित है।

उक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा